सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

वर्ष 1 अंक 2 फरवरी 1979 पचास पैसे

सीटू के चतुर्थ सम्मेलन के लिए आगे बढ़ो

सी आई टी यू का चौथा सम्मेलन 11 से 15 अप्रैल 1979 तक त्यागी वेंकटाचलम नगर, कन्नाप्पड़ तिढल, मद्रास, में होगा.

बम्बई में 1976 में हुए सीटू के तीसरे सम्मेलन के बाद भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं. मजदूर, वर्ग को श्रीमती इंदिरा गांधी की तानाशाही द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय आपात्तकाल से गुजरना पड़ा है. इस दौरान मजदूरों के ट्रेड यूनियन व जनवादी अधिकारों का बिल्कुल दमन कर दिया गया था. सीटू के एक हजार से भी अधिक कार्यकर्त्ताओं की मीसा के तहत जेलों में बंद कर दिया गया था. घृणित राष्ट्रीय अपेक्स बाडी ने तानाशाही शासन के समक्ष सभी ट्रेड यूनियन अधिकारों को समर्पित कर दिया. मजदूरों पर वेतन जाम थोप दिया गया, उनसे बोनस छीन लिया गया, और उन पर मन माने ढंग से काम का भार थोंप दिया गया. इन सब दमनकारी नीतियों के बावजूद इमरजेंसी के पूरे दौर में सीटू ने मजदूर वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी जिससे इसका प्रभाव बढ़ा और नई ताकत मिली.

इमरजेंसी के वापस लिए जाने और श्रीमती गांधी के तानाशाही शासन की हार के बार सीटू ने एकजुट आंदोलन के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है. नई दिल्ली में 18 सितंबर 1977 को ट्रेड यूनियन अधिकारों व अन्य मांगों के लिए, 15 मई 1978 का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिग्स की यूनियनों के और 19 नवंबर 1978 के औद्योगिक संबंध विधेयक के खिलाफ हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन सम्मेलनों की सफलता मजदूरों की बढ़ रही एकता की प्रतीक है. एक लाख से भी अधिक मजदूरों के एतिहासिक जुलूस न जिसने 20 नवम्बर को पालियामेंट के सामने प्रदर्शन किया, भारतीय मजदूर वर्ग को ट्रेड यूनियन और जनवादी अधिकारों के लिए लड़ाई के लिए दृढ़ संकल्प को व्यक्त किया.

सीटू का चौथा सम्मेलन पिछले चार सालों के दौरान के एकजुट ट्रेड यूनियन आंदोलन की उन्नति की समीक्षा करेगा और मजदूर वर्ग के निहायत जरूरी मुद्दों पर इन आंदोलनों को और शक्तिशाली बनाने के लिए अन्य रास्तों पर विचार करेगा.

पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के मजदूर वर्ग और जनता की चुनाव में जीत ने देश में वामपंथी और जनवादी ताकतों को एकजुट करने की जरूरत को सबसे आगे ला दिया है जिसके लिए सीटू शुरू से ही लगातार संघर्ष कर रही है.

इस सम्मेलन में लगभग 5000 डेलीगेट भाग लेंगे. सम्मेलन की तैयारी के लिए कामरेड बी. पी. चिंतन की अध्यक्षता में एक स्वागत समिति नियुक्त की गई है. इस स्वागत समिति का पता है : स्वागत समिति, सीटू का चतुर्थ सम्मेलन, 52, कुक्स रोड, मद्रास 600012 (फोन : 663367).

सीटू की तमिलनाडु राज्य कमेटी ने सम्मेलन के लिए चंदा इकट्ठा करने का आह्वान किया है. मजदूरों से अधिक़तम चंदा इकट्ठा करने की जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं.

15 अप्रैल को एक विशाल सभा होगी और अनेक केंद्रों से भारी संख्या में भाग लेने के लिए योजनाएं बना रहे हैं.

सम्मेलन के अवसर पर स्वागत समिति एक सोवेनियर निकालने की योजना बना रही है. इस सम्मेलन की खास बात यह होगी कि सम्मेलन के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को मजदूर अपनी भाषाओं में पढ़ सकेंगे. इन दस्तावेजों का देश की लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है.

सम्मेलन की तैयारी के लिए विभिन्न राज्यों में सीटू के राज्य-सम्मेलन आयोजित जा रहे हैं.

सीटू की हर यूनियन चौथे सम्मेलन को सर्वप्रिय बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करे और इसे एक एतिहासिक सम्मेलन

[शेष पृष्ठ पन्द्रह पर]

पश्चिम बंगाल के इंजीनियरी कर्मचारियों के लिए नया समझौता

पश्चिम बंगाल के चार लाख इंजीनियरी कर्मचारियों ने 12 जनवरी को कलकत्ता में हुए नए त्रिपक्षीय समझौते के द्वारा वेतन में बढ़ोतरी हासिल की है. इस समझौते से इंजीनियरी कर्मचारियों के औसत मासिक वेतन में 65 रुपये की वृद्धि हुई है तथा वेतन-वृद्धि और अन्य प्रासंगिक लाभों सहित कुल मिला कर सारे कर्मचारियों को 36 करोड़ रुपये सालाना का फायदा हुआ है.

मालिकों के संगठन, इंडियन इंजीनियरिंग एसोसियेशन तथा इंजीनियरिंग एसोसियेशन आफ इंडिया, ने आठ रुपये मासिक की वेतन-वृद्धि के प्रस्ताव से यह समझौता-वार्ता आरंभ की थी. परंतु कर्मचारियों की सभी फेडरेशनों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और 14 जनवरी से पूरे उद्योग में लगातार हड़ताल का संयुक्त आह्वान किया. पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार ने इंजीनियरी मालिकों के रवैये की कड़ी निन्दा की और हड़ताल के आह्वान की जोरदार हिमायत की. एक ओर संयुक्त तथा उद्योग-व्यापी हड़ताल के लिए भारी तैयारियां और दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की वाम-मोर्चा सरकार के प्रभावशाली हस्तक्षेप ने अन्त में अड़ियल मालिकों को एक काफी बड़ी वेतन-वृद्धि के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने को मजबूर कर दिया. पश्चिम बंगाल के इंजीनियरी कर्मचारियों की यह एक बहुत बड़ी विजय है.

उन इंजीनियरी युनिटों में जिनमें 50 से लेकर 249 तक कर्मचारी काम करते हैं 12 जनवरी, 1979 के समझौते के अनुसार कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 170 रुपये मासिक से बढ़कर 222 रुपये हो जाएगा और इस प्रकार कर्मचारियों को औसतन 52 रुपये मासिक की वेतन-वृद्धि मिलेगी. जिन यूनिटों में 250 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं उनमें कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन रु० 192.50 पैसे से बढकर रु० 248.50 पैसे हो जाएगा और इस प्रकार कर्मचारियों के औसत वेतन में 56 रुपये मासिक की वृद्धि होगी. इसके अलावा कर्मचारियों की सालाना तरक्की की दरों में दो रुपये की वृद्धि हुई है और *वेरियेबल* महंगाई भत्ते की दर उपभोक्ता कीमत सूचकांक (1960—100) में प्रति प्वांइट वृद्धि पर रु० 1.15 से बढ़ा कर रु० 1.30 कर दी गई है.

मेटल एंड इंजीनियरिंग वर्कर्ज यूनियन की ओर से कामरेड रबीन मुकर्जी और शांति घटक ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए.

'भेल' कर्मचारियों का छः फरवरी को विरोध दिवस

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स (भेल) के साठ हजार से अधिक कर्मचारियों की वेतन संबंधी और दूसरी मांगों को लेकर हुआ पुराना समझौता अगस्त 1977 में समाप्त हो चुका है. इससे पहले नया समझौता होकर उसकी सिफारिशें सितंबर 1977 से लागू हो जानी चाहिए थी. लेकिन इसके विपरीत प्रबंधकों ने टालमटोल की नीति अपनाई. भेल की संयुक्त समिति में ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने प्रबंधकों के इस रवैये पर गहरी चिंता प्रकट की है

सीटू, एटक, बी एम एस और 'भेल' की अन्य बीस यूनियनों के प्रतिनिधियों की इस समस्या पर विचार करने के लिए 24 जनवरी को नई दिल्ली में एक बैठक हुई. इस द्वारा प्रसारित एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पिछली जुलाई में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ एक अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अब प्रबंधकों ने उस अंतरिम समझौते को ही एक अंतिम फैसला माना जाने के लिए एक बेसिर पैर का मामला खड़ा किया है. इससे पूरे देश के कर्मचारियों में रोष पैदा होना स्वाभाविक ही है.

ट्रेड यूनियनों के बार-बार अनुरोध के बावजूद 'भेल' प्रबंधक एक अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं. ये विभिन्न ट्रेड यूनियनों द्वारा दिए गए मांग पत्र पर विचार के मामले में बिलकुल टस से मस नहीं हो रहे हैं. 'भेल' यूनियनों के पास संघर्ष के अलावा और कोई रास्ता नहीं है. प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ट्रेड यूनियनों ने कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति अड़ियल रवैये के खिलाफ अपना रोष जाहिर करने के लिए छः फरवरी को विरोध दिवस मनाने का फैसला किया.

'भेल' कर्मचारी प्रबंधकों और सरकार तक अपनी शक्तिशाली आवाज को पहुंचाने के लिए एकजुट होकर शांति के साथ बिल्ले लगा कर, प्रदर्शन आयोजित करके और दूसरी ट्रेड यूनियन गतिविधियों द्वारा विरोध दिवस को मनाएंगे.

मजदूर वर्ग की एकता निहायत जरूरी

पी राममूर्ति

जनता सरकार के हुकूमत की गद्दी पर बैठे क़रीब दो वर्ष गुजर गये. जनता सरकार जब हुकूमत पर बैठी तो आम लोगों ने ख़ासतौर पर मज़दूर वर्ग ने, जिस पर इमरजेंसी के दौरान बेहद दमन-चक्र चला था, उससे बड़ी-बड़ी उम्मीदें की थीं.

शुरू-शुरू में जनता सरकार ने कुछ बुनियादी अधिकारों और नागरिक आज़ादियों को बहाल किया. मज़दूर-वर्ग ने इसका स्वागत भी किया. इसके फौरन बाद ही देश के सभी हिस्सों में मजदूर वर्ग के संघर्ष अपनी उन बुनियादी मांगों के लिए तेज हो गये जिन्हें इमरजेंसी के दौरान ख़त्म कर दिया गया था. जैसे ही ये संघर्ष रोज व रोज तेज होते गए जनता सरकार का मज़दूर-विरोधी चेहरा जाहिर होता गया. उत्तर-प्रदेश और हरियाणा में करीब 9 हड़तालों पर पाबंदी लगा दी गयी. मध्य प्रदेश में जब बिजली मजदूरों ने हड़ताल का नोटिस दिया तो राज्य जनता सरकार ने **'मीनी मीसा'** लगा दिया.

वादे तोड़े

अपने चुनाव घोषणा पत्र में जनता पार्टी ने यह वादा किया था कि इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस सरकार ने जोर-जुल्म की मजदूर विरोधी जो कार्यवाहियां की थी उन्हें वह खत्म कर देगी मगर कुछ दिन बाद ही जनता सरकार अपने वादे से पीछे हटने लगी. नतीजा हुआ कि कम से कम बोनस की मांग पर मजदूरों को देश भर में हड़ताल करने की धमकी देनी पड़ी. इस धमकी से सरकार झुक गयी लेकिन बोनस के सवाल को पक्के तौर पर हल नहीं किया.

जहां तक सरकारी क्षेत्र के कारखानों का सवाल है. सामूहिक मोल-तोल करना धोखा बन गया है. क्योंकि वित्त मंत्रालय नौकरशाहों ने सरकारी क्षेत्र के नाम यह हुक्मनामा जारी कर दिया कि जब तक भूतलिंगम कमेटी की रिपोर्ट नहीं निकलती है, और सरकार जब तक उस पर कोइ फ़ैसला नही लेती है, तब तक वे मजदूर नुमाइंदों के साथ तंख्वाह के सवाल पर कोई बातचीत न करें.

गद्दारी

खुद भूतलिंगम कमेटी का कायम किया जाना मजदूर वर्ग को एक तमाचा था. चुनावों के दौरान मजदूर वर्ग ने जनता पार्टी के वादों पर भरोसा किया था, अपने चुनाव घोषणा पत्र में जनता पार्टी ने वादा किया था कि वह अपनी मजदूरी, आमदनी और कीमत की नीति इस तरह बनायेगी कि पहले दस वर्षों में आमदनी में असमानता 1:20 और उसके अगले दस वर्षों में 1:10 कम हो जायेगी. चुनाव-घोषणा पत्र में यह भी कहा गया था कि जनता सरकार जरूरत की बुनियाद पर कम से कम मजदूरी तय करने की नीति पर भी चलेगी और इस बात का ख्याल रखेगीकि रहन-सहन के खर्च को बड़ने से पूरी तरह रोका जाए.

जनता सरकार के गद्दी पर बैठने के कुछ महीने बाद ही दिल्ली के विज्ञान भवन में ट्रेड यूनियनों का एक सम्मेलन किया गया, जिसमें इस सवाल पर एक प्रस्ताव पास किया गया. प्रस्ताव में जनता सरकार की घोषणा का स्वागत करते हुए यह भी कहा गया कि इस देश में आमदनी में ग़ैर-बराबरी, खास तौर पर कई वर्गों में मौजूद है न कि मजदूरों, मध्यम वर्ग के कर्मचारियों. खेत मजदूरों और गरीब किसानों में. प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि बड़े धन्नासेठों, जमींदारों, और व्यापारी वर्ग के दूसरे हिस्सों के संपति के अधिकार पर हमले से ही आमदनी में ग़ैर बराबरी को कम किया जा सकता है. प्रस्ताव में मांग की गयी कि जनता सरकार अपने वादों को अमल में लाए. सरकार से इस सवाल पर बातचीत करने के लिए भी प्रस्ताव में मांग की गई.

नयी चेतना

हालांकि उस सम्मेलन में जनता पार्टी से संबंधित यूनियनों ने भी हिस्सा लिया था फिर भी जनता सरकार ने बातचीत की मांग को ठुकरा दिया. और मजदूरों के भाग्य का फैसला करने के लिए भूतलिंगम कमेटी को कायम कर दिया, जिसके अध्यक्ष खुद एक अवकाश प्राप्त आई. सी. एस. अफसर है और बहुराष्ट्रीय कम्पनी ग्लेक्सो के भी चेयर मैन हैं. भूतलिंगम कमेटी का कायम किया जाना मजदूर वर्ग के साथ एक तरह की गद्दारी थी. और मज़दूरों को इन मज़दूर विरोधी कार्यवाहियों के खिलाफ जमकर लड़ना पड़ा.

फिलहाल मजदूर आंदोलन में एक नयी चेतना जागी है. हर तरह की यूनि-एकजुट लड़ाई के मोर्चे पर लामबंद हो रही हैं. यह लामबंदी सिर्फ बोनस और मजदूरी के सवाल पर ही नहीं हो रही है बल्कि यह अब एक ऊंची मंजिल में पहुंच गई है. यानी एक नीति कायम कराने की मंजिल में पहुंच गई है. इस लामबंदी का सबूत पिछले वर्ष सरकारी कारखानों में सामूहिक मोल तोल के सवाल पर हड़ताल की धमकी और औद्योगिक संबंध विधेयक के खिलाफ इस देश में सभी ट्रेड यूनियनों की एकजुटता में मिलता है.

लोकतंत्र का झूठा दर्द

यह बिल इस देश के अब तक मज़दूर अन्दालन के इतिहास में सबसे बड़ा मज़दूर वर्ग विरोधी क़दम है. यह रास्ता

[शेष पृष्ठ पन्द्रह पर]

बिहार सीटू की बैठक

सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन की बिहार राज्य कमेटी की दो दिवसीय विस्तारित बैठक 21 जनवरी को पटना में कामरेड नकुल गुहा की अध्यक्षता में समाप्त हुई.

राज्य कमेटी के मंत्री कामरेड चण्डी प्रसाद ने पिछले कामों की रिपोर्ट पेश की.

सी आई टी यू के सचिव कामरेड एम. के. पंधे ने देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को बताते हुए सरकार की मजदूर विरोधी नीति पर प्रकाश डाला. सभी मेहनतकशों की एकता को और भी अधिक ठोस बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने सी आई टी यू की यूनियनों को इस काम में आगे बढ़ कर काम करने का आह्वाण किया गया.

बैंक कर्मचारियों, कोलियरी और बिजली मज़दूरों व पश्चिम बंगाल के चटकल मजदूरों के संघर्ष व हड़तालों के समर्थन में प्रस्ताव पास किए गए.

बैठक में एक अन्य प्रस्ताव के द्वारा राज्य में हरिजनों आदिवासियों पर बढ़ते जुल्म पर विचार करते हुए गहरी चिंता व्यक्त की गई और बताया गया है कि राज्य सरकार कमजोर वर्गों की हिफाजत करने में असफल सिद्ध हो रही है. कमेटी ने मांग की है कि हरिजनों और आदिवासियों की हिफाजत के लिए बिना किसी देर के ठोस कदम उठाया जाए और तमाम जमींदारों तथा उनके लठैतों के हथियारों को जब्त किया जाए.

कमेटी ने धनबाद जिले के अन्दर ट्रेड यूनियनों पर की जा रही गुंडागर्दी और उस पर चलाई जा रही हत्या की राजनीति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए सभी जनवाद-पसंद व्यक्तियों से अपील की है कि इस हत्या की राजनीति के खिलाफ एक होकर उसका विरोध करें.

सिम्पलेक्स मजदूरों का संघर्ष

दिल्ली पुलिस की लज्जाजनक भूमिका

सीटू के महासचिव, कामरेड पी राममूर्ति ने 22 जनवरी को निम्नलिखित प्रेस विज्ञप्ति जारी की :

कंस्ट्रक्शन कंपनी सिम्पलेक्स कन्क्रीट पाइल्ज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधकों ने पश्चिम बंगाल में अपने मुख्य दफ्तर सहित पांचों यूनिट बंद कर दिए हैं जबकि इनके मज़दूरों का मांग पत्र ट्राइबुनल के पास विचाराधीन है. दिल्ली और तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आसाम व गुजरात के प्रदेशों में इस कंपनी के मजदूरों ने इन बंद किए गए यूनिटों को दोबारा चालू करने की उचित मांग की है. और ये मजदूर इस मांग के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

कंपनी के प्रबंधकों ने मज़दूरों के इस आंदोलन को दबाने के लिए बहुत ही अत्याचारी दमन का रास्ता और बहुत जबरदस्त बदले की भावना से भरी नीतियां अपनाई. कंपनी के प्रबंधकों की इन बहुत ही क्रूर गतिविधियों के लिए सीटू कड़ी आलोचना करती है.

दिल्ली में इस कंपनी के प्रबंधकों ने पुलिस और समाज-विरोधी उपद्रवियों की सहायता से बहुत बड़ी संख्या में मज़दूरों को नौकरी से बाहर निकाल दिया है और मज़दूरों को कार्य स्थल पर बनी झोपड़ियों से भी निकाल देने की धमकी दी है.

पश्चिम बंगाल की वाम-मोर्चा सरकार ने जहां पुलिस को सिम्पलेक्स मज़दूरों की संघर्ष में दखल देने की इजाजत नहीं दी, वहां दिल्ली में पुलिस कंपनी के प्रबंधकों की संघर्षरत मज़दूरों को तंग करने, डराने व धमकाने में सहायता कर रही है और इसके लिए उकसा रही हैं. इसके अलावा बिना किसी कानूनी अधिकार के यह मजदूरों को उनकी झोपड़ियों में से निकालने की धमकी दे रही है. प्रधान मंत्री को सूचना दिए जाने के बाद भी पुलिस दमन खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं.

दिल्ली पुलिस की यह भूमिका जबरदस्त निंदनीय है और सीटू दिल्ली प्रशासन से मांग करती है कि सिम्पलेक्स मज़दूरों के संघर्ष में पुलिस हस्तक्षेप खत्म करने के लिए तुरंत कदम उठाए.

सीटू यह भी मांग करती है कि भारत सरकार सिम्पलेक्स के बंद यूनिटों को फिर चालू कराने व मज़दूरों की मांगों को तय करने और मज़दूरों को दी गई चार्ज शीटों व विक्टिमाइजेशन आदेशों को वापस लेने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे.

बिहार चर्म उद्योग

अनिश्चितकालीन हड़ताल

बेतिया टेनरी तथा फुटवेयर के मजदूर 11 जनवरी से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर हैं. बिहार के सभी चर्म वस्तु और चर्मशोधन कारखानों के मजदूरों ने 16 जनवरी से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल में शामिल होकर बहादुराना व लड़ाकूपन का परिचय दिया है.

सरकार और प्रबंधकों ने अभी तक अगस्त 1970 में हुए समझौते को पूरी तरह से लागू नही किया. तीन वर्षो से प्रशिक्षण में लगे मजदूरों को स्थायी नही किया गया है. इन मजदूरों को न तो कोई आवास की सुविधा है. और न ही इन्हें आवास भत्ता दिया जाता है. कई महीने पहले प्रबंधकों को एक दस-सूत्री मांग पत्र दिया गया था, लेकिन प्रबंधक इस बारे में कुछ भी नही कर रहे हैं.

महिला कर्मचारी सम्मेलन के लिए सीटू की तैयारी

मद्रास में 11 अप्रैल से होने वाले सीटू के चौथे सम्मेलन से ठीक पहले 9 व 10 अप्रैल को मद्रास में ही अखिल भारतीय महिला कर्मचारी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. समूचे देश की महिला कर्मचारियों के लगभग 1000 प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगी. इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सीटू के कर्मठ कार्यकर्ता ज़ोर-शोर से तैयारियां कर रहे हैं. महिला कर्मचारियों का यह सम्मेलन भारत में अपनी किस्म का पहला सम्मेलन होगा जिसमें उद्योगों, कर्मशियल संगठनों, विभागीय व अन्य संस्थापनों में काम करने वाली महिलाओं के साथ साथ-साथ अध्यापिकाएं तथा नर्सें भी भारी संख्या में भाग लेंगी.

सीटू की पहल कदमी

महिला कर्मचारी सम्मेलन के आयोजन का यह फैसला सीटू की वर्किंग कमेटी ने जून 1978 में हुई अपनी बैठक में लिया था. इसके लिए 4 जनवरी 1979 को दिल्ली में कामरेड बी टी रणदिवे की अध्यक्षता में तैयारी कमेटी की एक बैठक हुई जिसमें कमेटी ने महिला कर्मचारियों की काम करने की दशाओं और समस्याओं से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करने के लिए सीटू की राज्य कमेटियों को एक प्रश्नपत्र भेजने का फैसला किया. राज्य कमेटियों को अखिल भारतीय सम्मेलन से पहले राज्य के स्तर पर भी महिला कर्मचारी सम्मेलन करने की हिदायत दी गई. कई राज्यों ने इसके लिए दिन भी तय कर लिए गए हैं और कई जगह ये सम्मेलन हो चुके हैं. इन राज्य सम्मेलनों व अखिल भारतीय सम्मेलन में सीटू के अलावा अन्य यूनियनें व संगठन भी भाग लेंगे.

समस्याएं

महिला कर्मचारियों को संगठित करने में सीटू की यह पहल कदमी अत्यन्त सराहनीय है तथा एक बहुत बड़ी ज़रूरत को पूरा करती है. इसके महत्व का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि यद्यपि हमारे देश में महिलाएं कार्यशील जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग है, किन्तु मज़दूर संगठनों व उनके नेतृत्व में महिलाओं की संख्या नहीं के बराबर है. महिला कर्मचारियों की समस्याओं की सदा उपेक्षा की गई है. मालिकों ने इस उपेक्षा का पूरा-पूरा फायदा उठाया हैं तथा महिला कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए बने कानूनों की भी अवहेलना की है. ये कानून वैसे ही बहुत नाकाफी हैं. सार्वजनिक उद्योगों में तो इन कानूनों का जानबूझ कर और खुलेआम उल्लंघन किया जाता है. और सरकार इन बेईमान प्रबन्धकों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाती.

समान वेतन कानून, मातृत्व सुविधा कानून, बागान मज़दूर कानून तथा फैक्टरी कानून आदि की धाराओं की खुलेआम अवहेलना की जाती है. समान वेतन कानून से बचने के मालिकों ने कई तरीके निकाल रखे हैं. बागानों में समान वेतन की आड़ में महिला कर्मचारियों का काम बढ़ा दिया गया है. कई कारखानों में महिला कर्मचारियों के लिए अलग से वेतनमान बना कर बड़ी चालाकी से उनका वेतन बहुत नीचे स्तर पर तय कर दिया गया है. बीड़ी उद्योग में खुलेआम महिला कर्मचारियों को पुरुषों से कम मज़दूरी दी जाती है. बागानों, खदानों, कारखानों व मिलों में महिला कर्मचारियों के लिए विश्राम करने की कोई जगह नहीं. और न ही उनके बच्चों के लिए क्रेश की संतोषजनक व्यवस्था है.

टेलीफोन एक्सचेंज हस्पताल तथा दूसरे ऐसे स्थानों में जहां से महिला कर्मचारियों को रात को वापस आना होता है, उन्हें गुंडों से सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत है. शहरों तथा गांवों में महिला कर्मचारियों के लिए कम खर्च वाले होस्टलों का निर्माण भी बहुत आवश्यक है. छोटे पैमाने के उद्योगों (जैसे बने बनाए कपड़ों के उद्योग, दस्तकारी, चावल मिलें आदि) में महिला कर्मचारियों को सीलन भरी बंद कोठरियों में कम वेतन पर ज्यादा घटे काम करने के लिए मजबूर किया जाता है तथा मालिकों के अत्याचार से उनकी रक्षा करने के लिए कोई कानून ही नहीं है.

बेरोजगारी

बेरोज़गारी की समस्या भी महिला कर्मचारियों मे ज्यादा गम्भीर है. रोजगार केन्द्रों के मौजूदा आंकड़ों के अनुसार देश में बेरोजगार महिलाओं की संख्या एक करोड़ साठ लाख से भी अधिक है. संविधान के निर्देशक सिद्धान्तों में शामिल काम करने व मातृत्व के अधिकारों की ज़रा भी परवाह किए बिना मालिक शादी करने पर महिलाओं को काम से निकाल देते हैं ताकि मातृत्व सुविधाएं न देनी पड़ें. कई उद्योगों और खदानों में महिला कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के बने कानूनों के कारण ही उनकी नौकरी छीन ली जाती है. इससे महिला कर्मचारियों की संख्या में भारी कमी आई है.

संघर्ष

सीटू द्वारा अखिल भारतीय महिला कर्मचारी सम्मेलन का आयोजन इन समस्याओं को सुलझाने में महत्वपूर्ण कदम है. इस के आधार पर महिला कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन, मातृत्व सुविधाएं, प्रतिदिन आठ घंटे काम, वेतन सहित वार्षिक छुट्टियां, चिकित्सा सुविधाएं, स्वास्थ्य-सम्बन्धी खतरों से सुरक्षा तथा असंगठित महिला कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया जा सकेगा. यह सम्मेलन महिला कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन आंदोलन की बुनियाद होगा.

कोयला खदान मजदूरों की 5 फरवरी को हड़ताल

कलकत्ता में 12 जनवरी को पांच केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों, सीटू, एटक, एच एम एस, इंटक व बी एम एस द्वारा जारी किए गए एक प्रेस वक्तव्य में कहा गया है कि कोयला उद्योग के प्रबंधकों ने कोयला मज़दूरों की मामूली मांगों को भी मानने से इंकार कर दिया. इससे कोयला उद्योग में दो महीनों से चल रही द्विपक्षीय समझौता-वार्ता से कोई भी नतीजा नहीं निकला है.

वक्तव्य में कहा गया है कि भारत सरकार और ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने द्विपक्षीय समझौता-वार्ता में हस्तक्षेप करके कोयला उद्योग में सामूहिक सौदेबाजी का मजाक उड़ाया है. कोयला खदानों में चिंताजनक हालातों, बहुत ज्यादा संख्या में दुर्घटनाओं और मौतों, कोयला खदानों में काम और निर्वाह के प्राचीन हालातों के बावजूद दिल्ली और दूसरे स्थानों में नौकरशाह बहुत ही घटिया रुख अपना रहे हैं. वे कोयला खदान मज़दूरों की हर मांग को ठुकरा देते हैं.

अपनी मांगों के बारे में कोई भी समझौता न होने से समूचे देश के कोयला मज़दूरों का उत्तेजित होना स्वाभाविक ही है. केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा पिछले साल दिसम्बर के मध्य में दी गई चेतावनी के बावजूद कोयला उद्योग के प्रबंधकों ने हालात की गम्भीरता को समझने की कोशिश नहीं की. इसके विपरीत उन्होंने मज़दूरों की सहनशीलता को उनकी कमजोरी मान लिया. यहां तक कि जबरन जमा राशि की अदायगी, बाढ़ पीड़ितों को अग्रिम अदायगी और 1974-75 व 1975-76 के लिए बोनस की मांग भी स्वीकार नहीं की गई.

अब यूनियनों के पास संघर्ष के अलावा और कोई रास्ता नहीं है. सीटू, एटक, एच एम एस, बी एम एस व इंटक ने देश के सभी कोयला मज़दूरों को अपनी कानूनी व जायज मांगों को मनवाने के लिए 29 जनवरी से 4 फरवरी तक प्रतिरोध सप्ताह मनाने और 5 फरवरी को सांकेतिक हड़ताल करने का आह्वान किया है. उन्होंने मज़दूरों से अपील की कि अपने अलग अलग संबंधों के बावजूद प्रतिरोध सप्ताह व एकदिन की हड़ताल एकजुट होकर शांतिपूर्वक ढंग से मनाएं.

केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री पी. रामचंद्रन व श्री जनेश्वर मिश्र ने इस हड़ताल के सिलसिले में सीटू, एटक और इंटक के नेताओं से 29 जनवरी को बातचीत की और हड़ताल को वापस लेने के लिए कहा. मंत्रियों ने ट्रेड यूनियन नेताओं को न तो कोई ठोस आश्वासन दिया और न ही उनके किसी भी सुझाव से हालात में कोई बदलाव आता था. इसलिए सभी ट्रेड यूनियनों ने एकमत होकर पांच फरवरी को हड़ताल पर जाने के फैसले को बरकरार रखा. और पहले तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार कोयला उद्योग में हड़ताल होगी.

ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं पर दमन

ट्रेड यूनियन आंदोलन में भाग लेने के कारण यूनियनों के कार्यकर्त्ताओं को तंग करना, डराना व धमकाना और मुअत्तल या बर्खास्त कर देना एक आम बात हो गई है. हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस ने बिलासपुर जिले में बांकी कोलियरी के सीटू से सम्बद्ध यूनियन के दो मुख्य कार्यकर्त्ताओं को ट्रेड यूनियन की दैनिक गतिविधियों में भाग लेने के कारण झूठे मामलों में फंसा दिया है.

कोयला श्रमिक संघ के उपाध्यक्ष कामरेड गरीब नारायण सिंह और संयुक्त सचिव नंद लाल को बिलासपुर, रायगढ़, सुरगुजा, शाहडोल, माडंला, रायपुर दुर्ग और राजानंद गांव के जिलों से बाहर निकालने के लिए कारण-बताओ नोटिस दिए हैं. इससे जाहिर है कि यह कार्यवाही बदले की भावना व पूरे छत्तीसगढ के इलाके में से उनकी गतिविधियों को खत्म करने के लिए की गई है. इन कार्यकर्त्ताओं को दूसरे कई झूठे मामलों में भी फंसाया गया है.

इसके अलावा सुराकछार व बांकी कोलियरियों के सीटू के कई कार्यकर्त्ताओं को समाज विरोधी तत्वों द्वारा पीटा गया है लेकिन कई शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नही की. बल्कि स्थानीय पुलिस पक्षपात कर रही है और सीटू को अपने हमलों का निशाना बना रही है.

कोयला श्रमिक संघ इस इलाके की समूची कोलियरियों की यूनियन है. इसके अनेक कार्यकर्त्ताओं को लगातार तंग किया जाता है. कई कार्यकर्त्ताओं को क्षेत्र से बाहर निकाल देने की धमकी दी गई है.

सीटू के सचिव कामरेड पंधे ने मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस के इस रवैये का जबरदस्त विरोध किया है. उन्होंने मुख्य मंत्री से इस मामले में पुलिस के आचारण की निष्पक्ष जांच कराने के लिए भी अनुरोध किया ताकि क्षेत्र में ट्रेड यूनियनों के ठीक प्रकार से काम करने देने की गारंटी के किए कदम उठाए जा सकें.

एच एस सी एल के मजदूरों का शानदार संघर्ष

हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के मज़दूरों को यूनियनों व अन्य संगठनों की अखिल भारतीय कोआर्डिनेशन कमेटी की बैठक नई दिल्ली में 17-18 जनवरी को हुई. इस बैठक में सात से चौदह फरवरी तक पूरे देश में मांग सप्ताह मनाने का फैसला किया गया. फैसले के अनुसार इस सार्वजनिक उद्योग की सभी यूनिटों में यह मांग सप्ताह मनाया जाएगा जिसमें मजदूर बिल्ले लगाएंगे, गेट मीटिंगें और प्रदर्शन करेंगे. चौदह फरवरी को एक स्मरण पत्र विभिन्न यूनिटों के प्रबंधकों को दिया जाएगा. कोआर्डिनेशन कमेटी की आगामी बैठक 17 फरवरी को होगी जिसमें आगे का कार्यक्रम तय किया जाएगा.

सार्वजनिक उद्योग हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की देश में तीस से भी ज्यादा युनिटें हैं. इनमें साठ हजार से भी ज्यादा कर्मचारी व मज़दूर काम करते है—जिसमें करीबन आधे डिपार्टमेंटल और आधे ठेका मज़दूर हैं. इस उद्योग में काम करने वाले सभी कर्मचारी चाहे वे इंजीनियर हों या साधारण मज़दूर, अस्थायी हैं. इन कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं है.

यहां के मज़दूरों की नियुक्ति इस्पात कारखानों के निर्माण के लिए होने के बावजूद इनके वेतन इस्पात कारखानों में कार्यरत मजदूरों के वेतन के बराबर नहीं हैं. इन श्रमिकों के लिए रहने का कोई इंतजाम नहीं है जिसके कारण दूर-दूर के गांवों से मज़दूरों को पैदल या साईकल से काम पर आना पड़ता है. एक ही कंपनी में कार्यरत होने पर भी श्रमिकों को एक समान रूप से छुट्टियां नहीं मिलती है. सरकारी संस्था होने पर भी श्रमिकों को बोनस का हिसाब किताब जानने का हक नहीं.

चिकित्सा व आवास सुविधाओं का न होना, मंहगाई और नाम मात्र वेतन ने इस उद्योग के कर्मचारियों की कमर तोड़ दी है. ठेका-मज़दूरों की तो बहुत ही बुरी हालत है. प्रबंधक ठेकेदारों से काम कराते हैं. ये ठेकेदार उस काम को कराने के लिए कई छोटे ठेकेदारों को नियुक्त करते हैं. कई बार तो प्रबंधकों और मज़दूरों के बीच चार-पांच ठेकेदार होते हैं जो काफी मुनाफा कमाते हैं. ठेका मज़दूरों के हाथ केवल तीन-चार रुपये ही लगते हैं. यदि प्रबंधक सीधे मज़दूरों से ही काम कराएं और ठेकेदार बीच में न हों तो मजदूरों की आर्थिक हालत सुधर सकती है. मज़दूर ठेका प्रथा को समाप्त कराने के लिए संघर्ष करते हैं और प्रबंधक इस प्रथा को खत्म करना नहीं चाहते.

प्रबंधक केवल हड़ताल की भाषा ही समझते हैं, जब तक मज़दूर इस भाषा में नहीं बोलता, संघर्ष का रास्ता नहीं अपनाता तब तक उसकी मांगों का स्वीकार कर लिया जाना नामुमकिन है. जब मज़दूर एकजुट होकर सरकार व प्रबधकों के दमन के खिलाफ और अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष करते हैं, यूनियनें व संगठन बनाते हैं तब सरकार व प्रबंधक मज़दूरों पर दमन का चक्र भी तेज कर देते हैं. मज़दूरों के दुश्मन, ये लोग पुलिस व गुंडों की सहायता से यूनियनों को तोड़ने व संघर्ष को चौपट करने की हर कोशिश करते हैं.

भिलाई में एच. एस. सी. एल वर्कमेन्स यूनियन (सीटू) के नेतृत्व में 29 सितंबर 1978 की रात से हड़ताल पर जाने का फैसला किया था. इस फैसले के तुरंत बाद से प्रबंधकों आदि ने इस हड़ताल को तोड़ने की योजनाएं बनानी शुरू कर दी थी. प्रबंधकों, भारतीय मज़दूर संघ (बी. एम. एस) और स्थानीय सरकारी प्रशासन को इस हड़ताल को तोड़ने की हर साजिश को नाकाम करते हुए भिलाई के मजदूरों ने सीटू के नेतृत्व में 14 अक्तूबर तक चौदह दिन की लगातार हड़ताल के द्वारा अभूतपूर्व एकता व अपनी जागरूकता का परिचय दिया. इस कम्पनी में हड़ताल को तोड़ने के लिए इस बार जैसी निर्लज्ज भूमिका प्रबंधकों और स्थानीय प्रशासन ने इससे पहले कभी नहीं अदा की थी.

ये मज़दूर शांतिपूर्वक ढंग से अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे थे. एच एस सी एल में 30 सितंबर को पूरा कामकाज ठप्प रहा. एच एस सी एल व भारत स्टील प्लांट के प्रबंधकों, सी आई एस एफ व स्थानीय पुलिस और बी एम एस के नेताओं ने मिलकर साजिश की और 30 सितंबर की सुबह को दस बजे करीब दो सौ गुंडे (बी एम एस के समर्थक) प्लांट के अन्दर से लाठी और छड़ आदि लेकर बाहर आए और एच एस सी एल आफिस के सामने संघर्षरत मज़दूरों पर हमला बोल दिया. पुलिस ने मज़दूरों पर लाठीचार्ज किया. सीटू के 20-25 सदस्य घायल हो गए और हमले से घायल कामरेड बुद्धराम का उसी रात भिलाई स्टील प्लांट के अस्पताल में देहांत हो गया.

इतने जबरदस्त हमले के बाद भी प्रबंधक मज़दूरों की आवाज को नहीं दबा सके. हमले की न्यायायिक जांच की और अपराधियों को सजा देने की मांग की गई. सभी ने एक ही प्रश्न उठाया कि ये गुंडे किस प्रकार प्लांट के अंदर से लाठी-छड़ लेकर बाहर आए और हमले के बाद फिर अंदर चले गए.

भिलाई में कामरेड बुद्धराम की शव यात्रा ने एक विशाल एतिहासिक जुलूस का रूप लिया. शहीद कामरेड बुद्धराम को एच एस सी एल आफिस गेट के सामने हुई रैली में विभिन्न यूनियनों व संगठनों ने श्रद्धांजली अर्पित की. इस

[शेष पृष्ठ चौदह पर]

दवा कर्मचारियों के संघर्षरत कदम

भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक देश के विभिन्न भागों में लगभग 2500 दवा कंपनियां हैं. इसमें से 118 कंपनियां संगठित क्षेत्र में हैं. इस उद्योग पर बहुदेशीय कंपनियों का प्रभुत्व है जो भारत की जनता को लूट रही हैं. इस उद्योग में लगभग 80,000 स्थायी कर्मचारी ग्रौर करीबन 15,000 मेडिकल ग्रौर बिक्री प्रतिनिधि हैं. समूचे उद्योग में 25 से 30% ठेका, केजुग्रल ग्रौर ग्रस्थायी कर्मचारी हैं.

भारतीय एकाधिकार घरानों में साराभाई ग्रौर एलेम्बिक के बड़े कारखाने हैं. टाटा भी रेली ग्रुप के साथ मिलकर ग्रपना प्रभुत्व जमा रहा है. लेकिन ग्रमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी ग्रौर फ्रांस की बहुदेशीय कंपनियों का देश की दवा-मंडी पर ग्रधिकतम नियंत्रण है. देश में कोई दूसरा ऐसा उद्योग नहीं जो इतनी बुरी तरह से बहुदेशीय कंपनियों के हाथों जकड़ा हो.

आंदोलन

इस उद्योग में 1966 से ग्रांदोलन शुरू हुग्रा. महाराष्ट्र में एक फेडरेशन बनी. पश्चिम बंगाल में 1967 में संघर्षरत कर्मचारियों ने एक फेडरेशन बनाई. इसी दौरान एक ग्रखिल भारतीय फ़ेडरेशन बनी जो कुछ काम न कर पाई. ग्रांदोलन को ग्रागे बढ़ाने के लिए 1969 में फिर कोशिशें हुई.

फिर विक्टिमाइजेशन के खिलाफ महाराष्ट्र में ग्रांदोलन हुग्रा. कामरेड जे. एस. मजूमदार के निलंबन को लेकर ग्लेक्सो प्रयोगशालाग्रों में संघर्ष तेज हुग्रा. ग्रौर जनवरी 1973 में बबई-थाने क्षेत्र में एक दिन की हड़ताल भी हुई. इससे ग्रखिल भारतीय यूनियन के निर्माण का रास्ता फिर खुला. फरवरी 1974 में ग्राल इंडिया केमिकल एंड फार्मेस्यूटिकल इंप्लाईज फेडरेशन का फिर से जन्म हुग्रा.

इस फेडरेशन के बनने के बाद जुलाई 1974 में इसकी कार्यकारिणी की कलकत्ता में हुई बैठक में 11 सूत्री मांग पत्र तैयार किया गया. इसमें जरूरत के ग्राधार पर वेतन, महंगाई भत्ता, बहुदेशीय ग्रौर भारतीय एकाधिकार घरानों का राष्ट्रीय-करण, दवाइयों व बाल भोजन के दामों में कमी, बेकार ग्रोर घटिया दवाइयों के उत्पादन पर नजर रखना, मेडिकल ग्रौर बिक्री प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए इंडियन ड्रग कानून में संशोधन, महिला कर्मचारियों को मातृत्व की सुविधा, ठेका प्रथा की समाप्ति, ग्रस्थायी ग्रौर केजुग्रल कर्मचारियों की नौकरी पक्की करना, कंप्यूट्रीकरण, मशीनीकरण व स्वचालन तथा रोजगार में कटौती के खिलाफ ग्रौर पश्चिम बंगाल में कर्मचारियों के जनवादी व ट्रेड यूनियन ग्रधिकारों की बहाली ग्रादि की मांगें रखी गई.

यह मांग पत्र मालिकों, प्रबंधकों ग्रौर राज्य व केन्द्रीय सरकारों को दे दिया गया. इन मांगों के समर्थन में नौ सितंबर 1974 को देश में मांग दिवस मनाया गया. फिर ग्रप्रैल 1975 में पार्लियामेंट के सामने एक विशाल सभा हुई, ग्रौर दफा 144 तोड़ने के कारण महिलाग्रों सहित 200 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया. मई 1975 में इस फेडरेशन को पोलैंड में हुए एक ग्रंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बुलाया गया. ग्रापातकाल में फेडरेशन कोई खास काम न कर सकी.

फेडरेशन ने देश भर में शाखाएं बनाने की कोशिशें की. फेडरेशन ग्राफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशंस ग्राफ इंडिया, जिसमें ग्राज 8000 सदस्य, 17 राज्य युनिट ग्रौर 200 शहर युनिट हैं, भी इस ग्रखिल भारतीय फेडरेशन में ग्रा मिली. इसकी देश भर में ग्रनेक युनिटें कायम हो गई.

विकास

फेडरेशन ग्राफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशंस ग्राफ इडिया ने विक्टिमाइजेशन के खिलाफ जनवरी 1977 में एक राष्ट्रीय सम्मेलन बंबई में ग्रायोजित किया. देश भर में 17 जनवरी 1977 को विक्टिमाइजेशन के खिलाफ काले बिल्ले लगाकर एक दिन मनाया गया. बंबई थाने क्षेत्र में 19 मई 1977 को 45 युनिटों के 35000 कर्मचारियों ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की ग्रौर 15000 कर्मचारियों ने सचिवालय पर प्रदर्शन किया.

दोनों फेडरेशनों ने फ्लोरा फाउंटेन बंबई में 26 मई से 15 जून 1977 तक सामूहिक क्रमिक भूख हड़ताल की. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री व श्रममंत्री के त्रिपक्षीय वार्ता बुलाने के ग्राश्वासन पर इस हड़ताल को वापस लिया गया. इस दौरान 1 से 15 जून तक देश के विभिन्न भागों में भी सामूहिक भूख हड़तालें की गई.

त्रिपक्षीय सम्मेलन 13 जुलाई 1977 को हुग्रा. मालिकों ने भाग लिया, लेकिन उन्होंने फैसला लागू नहीं किया. दवा कर्मचारियों का नई दिल्ली में 12 सितंबर 1977 को एक ग्रौर सम्मेलन हुग्रा. इसी तरह का दूसरा सम्मेलन 6 ग्रगस्त 1978 को पटना में हुग्रा जिसमें सीटू ग्रध्यक्ष कामरेड बी टी रणदिवे मुख्य वक्ता थे. विक्टिमाइजेशन के खिलाफ ग्रौर ट्रेड यूनियन ग्रधिकारों की बहाली व 1974 के मांग पत्र को लेकर देश व्यापी ग्रांदोलन का फैसला किया गया. ग्रौर 7 सितंबर 1978 को विरोध दिवस मनाया गया. ग्लेक्सों के प्रबंधकों, केन्द्रीय श्रममंत्री ग्रौर तेल-रसायन मंत्री को दोनों फेडरेशनों के महासचिवों का ग्लेक्सो द्वारा विक्टिमाइजेशन के खिलाफ एक स्मरण पत्र दिया गया जिस पर 1000 कर्मचारियों ने हस्ताक्षर किए.

मांग दिवस 3 ग्रक्तूबर 1978 को मनाया गया ग्रौर 11 दिसम्बर 1978 को विरोध जुलूस ग्रौर पार्लियामेंट के सामने

रैली हुई. केन्द्रीय श्रममंत्री ने जनवरी 1979 के पहले सप्ताह में त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाने का आश्वासन दिया. सम्मेलन में भाग लेने वालों के लिए फेडरेशन ने विभिन्न मुद्दों पर एक नोट तैयार किया. इसमें दवा कंपनियों द्वारा किए गए ट्रेड यूनियन आंदोलन पर दमन का पर्दाफाश किया गया.

दमन

दवा उद्योग के, खासतौर से विदेशी कंपनियों के, मालिकों ने दमन की नीतियां अपनाई. श्रमिकों के संगठनों को तोड़ने की नापाक कोशिशें हुई. ट्रेड यूनियन आंदोलन को तबाह करने की हर साजिश की गई. ट्रेड यूनियन नेताओं को बिना चार्जशीट दिए मुअत्तल किया गया. कई को नौकरी से निकाल दिया गया. अनेक कार्यकर्त्ता विक्टिमाइजेशन के शिकार हुए. बहुत सी कंपनियों ने रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने से इंकार किया. दवा उद्योग जबरदस्त दमन का शिकार हुआ.

यूनियन नेताओं और कार्यकर्त्ताओं के दमन में ग्लेक्सो लिमिटेड सबसे आगे है. बिना कारण बताए, बिना जांच कराए और सभी जनवादी अधिकारों को ताक पर रखते हुए इनको नौकरी से निकाल दिया गया और कई को मुअत्तल किया गया. यूनियन नेता कामरेड के.डी. जोशी और का. जे. एस. मजूमदार और का. रणजीत बसु (बिहार), का. बी. के. घोष (पश्चिम बंगाल), का. के. ए. वाधवानी और का. पी. आर. गुप्ता (उत्तर प्रदेश) को ग्लेक्सो प्रबंधकों द्वारा नौकरी से निकाले जाने के उदाहरण हैं. इसके अलावा कुल मिलाकर लगभग बीस कार्यकर्त्ताओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ा. इतना ही नहीं करीब चालीस कार्यकर्त्ताओं को चार्जशीट दी गई है. इनका अपराध यह है कि इन्होंने मई 1977 के संघर्ष को कामयाब बनाने की कोशिशें की. ट्रेड यूनियन कार्य में भाग लिया.

स्मिथ क्लाइन एंड फ्रेंच (इंडिया) लिमिटेड, बंगलोर, ने 24 यूनियन नेताओं कार्यकारिणी के सदस्यों और कार्यकर्त्ताओं को गैरकानूनी लाक-आउट का विरोध करने और शांतिपूर्वक ट्रेड यूनियन आंदोलन में भाग लेने आदि के लिए

[शेष पृष्ठ दस पर]

व्यवसाय भी कैंसर का कारण हो सकता है

आज कैंसर ने उसी तरह का आतंक फैला रखा है जैसे पुराने जमाने में प्लेग ने फैलाया था. कैंसर कई तरह का होता है और इसके अनेक कारण हैं.

एक कारण आपका व्यवसाय हो सकता है.

व्यावसायिक कैंसर एक तरह का फोड़ा (ट्यूमर) सा होता है जो कुछ खास तरह के रसायनों या कारसिनोजन कहलाने वाले भौतिक पदार्थों के साथ लम्बे अरसे तक काम करने के कारण पैदा होता है.

कोलतार से चर्म और फेफड़ों में कैंसर हो सकता है. कोलपिच, खनिज तेल व दूसरे कई तरह के तेल भी कैंसर को जन्म देते हैं.

एस्बेस्टस या क्रोमियम और उसके मिश्रण के साथ काम करने से भी कैंसर हो जाता हैं.

बेंजीन से एनीमिया और ल्यूकीमिया की बीमारियां हो जाती हैं. कुछ एरोमेटिक एनाइंस से मूत्राशय या शरीर के अन्य हिस्सों में कैंसर हो जाता हैं. रेडियोएक्टिव पदार्थों या एक्स-रे यंत्रों से उत्पन्न आइनाईजिग किरणों के सम्पर्क में ज्यादा देर रहने से चमड़ी हड्डियों, जिगर आदि में कैंसर जन्म ले लेता है.

खतरे का अहसास

अंतर्राष्ट्रीय श्रम सगंठन (आई. एल. ओ.) के एक अध्ययन के मुताबिक उद्योग में लगभग चालीस रसायन निहायत जरुरी हैं. यदि जरुरी सावधानियां न इस्तेमाल की जाएं तो ये रसायन मजदूरों में कैंसर की बीमारी पैदा कर सकते हैं.

इस अध्ययन में उन मुख्य उद्योगों के बारे में बताया गया जिनमें ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं. इसमें क्रोमियम व निकल खनिज, अल्कोहल, रबड़ व तार, कोयला-भट्टी से संबधित उद्योग शामिल हैं.

कारसिनोजन धूल व गैस से सांस द्वारा और काम करने वाले कपड़ों से चमड़ी द्वारा ग्रहण कर लेने से शरीर के भीतर चले जाते हैं. कभी कभी खतरनाक पदार्थों के साथ काम करने के बाद हाथ न धोने से भी ये कीटाणु शरीर में पहुंच जाते हैं.

कैंसर पांच से बीस साल के काम के अनुभव के दौरान पैदा होना शुरू हो जाता है. कभी कभी इसकी शुरुआत के लिए तीन से छः महीने ही काफी होते हैं.

भयानक समस्या

किसी मजदूर को कैंसर हो जाना कई कारणों पर निर्भर करता है. कारसिनोजनों का शक्तिशाली होना व उनकी मौजूदगी में लम्बे अरसे तक काम करना, मजदूर का स्वास्थ्य, काम करने के ढंग व वस्तुओं के उत्पादन के तरीके और इस बीमारी की रोकथाम के लिए तकनीकी व चिकित्सा की

[शेष पृष्ठ बारह पर]

दवा कर्मचारियों का संघर्ष

[पृष्ठ नौ से आगे]

बिना चार्जशीट दिए नौकरी से निकाल दिया और 17 कार्यकर्त्ताओं को मुअत्तल किया.

बायोलोजिकल इवांस लिमिटेड, ने पांच यूनियन कार्यकर्त्ताओं के पहले बंबई से हैदराबाद के तबादले की साजिश की. श्रम अदालत ने इस पर रोक लगाई. फिर प्रबंधकों ने उनकी नौकरियां छीन ली. इसके अलावा 24 यूनियन नेताओं और कार्यकर्त्ताओं की नौकरियां छीनने के लिए प्रबंधक मामला अदालत में ले गए.

साउथ इंडिया रिसर्च इंस्टीच्यूट प्रा. लिमि., हैदराबाद व विजयवाड़ा, ने अनेक नेताओं व कार्यकर्त्ताओं को बेरोज-गार बनाया. ईस्ट इंडिया फार्मेस्यूटिकल वर्क्स लिमि. कलकत्ता, सुहरिद गाइगी लिमि. बंबई, जाहन व्येथ ब्रदर्स लिमि., फाइजर लिमि., हाक्स फार्मेस्यूटिकल लिमि., बेयर इंडिया लिमि. आरगेनान इंडिया लिमि., स्टेंडर्ड फार्मेस्यूटिकल लिमि., पुरक विनिमाए लिमि., सैंडोज इंडिया लिमि., बुट्स कं. इंडिया लिमि., साइनामाइड इंडिया लिमि. और अनेकों विदेशी और भारतीय कंपनिया इस काम में पीछे नहीं.

इस प्रकार दवा उद्योग के सैकड़ों यूनियन नेता और कार्यकर्त्ता प्रबंधकों की विक्टिमाइजेशन नीतियों की चपेट में आए. दवा उद्योग के ट्रेड यूनियन आंदोलन पर इतने जबरदस्त हमले के बावजूद इनके कर्मचारियों के उत्साह या एकता को तोड़ा नहीं जा सका. शक्तिशाली यूनियनें चट्टान की तरह प्रबंधकों की हर चोट का मुकाबला कर रही हैं. कर्मचारियों की शक्ति और मजबूत होती जा रही है.

मुनाफा

एक ओर अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत कर्मचारियों पर अभूतपूर्व हमला है. दूसरी ओर है इन कंपनियों का लगा-तार बढ़ता मुनाफा. कर्मचारियों को दस से पंद्रह साल अस्थायी ही रखा गया. उन्हें कोई सुविधा नहीं दी गई. बोनस व अन्य भत्ते न देकर, महंगाई और मुनाफा बढ़ने पर वेतन में बढ़ौतरी न करके और अनेक प्रकार की सुविधाओं से वंचित कर इन प्रबंधकों ने कर्मचारियों की हालत बद से बदतर बनाई और अपनी तिजोरियां भरते गए. इसके अलावा स्थायी की बजाए अस्थायी कर्मचारी नियुक्त किए, जिससे उन्हें हर सुविधा से वंचित रखने में आसानी हुई. मालिकों का मुनाफा बढ़ता गया.

इसके लिए फाइजर लिमिटेड की मिसाल काफी है. इस कंपनी में 1968 में 1032 स्थायी और 80 अस्थायी कर्मचारी काम करते थे. यह संख्या तेजी से बढ़ी. और 1976 में 1014 स्थायी और 577 अस्थायी कर्मचारी काम पर थे. इन्हीं सूत्रों के अनुसार 1968 में 14 करोड़ की बिक्री हुई और कुल मुनाफा 3 करोड़ 78 लाख रुपये का था. बिक्री और मुनाफे में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हुई और 1976 में बिक्री 39 करोड़ 30 लाख रुपये थी व 6 करोड़ 64 लाख का मुनाफा हुआ. दवा उद्योग में धांधली, दमन, मुनाफाखोरी के ऐसे अनेक उदाहरण हैं.

श्रमिक शक्ति

दवा उद्योग में सफाई व चौकीदारी से लेकर दवाओं के वितरण व बिक्री तक के सभी कामों के लिए ठेकेदार नियुक्त किए जाते हैं. कई तरह से स्वचालन करके रोजगार भी कम किया जा रहा है. ट्रेड यूनियनों का हर तरह से दमन किया जा रहा है. लेकिन दवा उद्योग श्रमिक शक्ति को तोड़ नहीं सका. आल इंडिया केमिकल एंड फार्मेस्यूटिकल एंप्लाईज फेडरेशन के नेतृत्व में दवा उद्योग के कर्मचारी अपनी शक्ति और मजबूत बना रहे हैं और विक्टिमाइज्ड कर्मचारियों की नौकरियां बहाल करने, दवा-सामंतों की मौजूदा नीतियों के वापस लिए जाने तथा ट्रेड यूनियन अधिकारों व उसकी आजादी के लिए एकजुट आंदोलन कर रहे हैं. सी आई टी यू ने दवा उद्योग की इस फेडरेशन का हमेशा साथ दिया. इस उद्योग के आंदोलन को और मजबूत बनाने में मदद की. और भविष्य में भी सी आई टी यू दवा उद्योग के कर्मचारियों के संग्रामी आंदो-लन को सफल बनाने में हर मुमकिन कोशिश करेगी.

आंध्र में महिला कर्मचारी सम्मेलन

आंध्र प्रदेश के नेलोर और विजाग जिलों में 24 और 31 दिसम्बर को महिला-कर्मचारी सम्मेलन सीटू के नेतृत्व में आयोजित किए गए. इनमें अध्यापिकाओं, नर्सों और कारखानों, मिलों, व खेत मजदूरों के महिला-कर्मचारियों की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया.

इनमें कई प्रस्ताव पास किए गए, जिनमें पुरुषो और महिलाओं के वेतनों में बराबरी, गर्भवतियों के लिए छुट्टियों, जहां तीस से अधिक महिला-कर्मचारी काम करती है वहां बच्चों के पालन के लिए क्रेश और अन्य सुविधाओं के लिए मांग की गई है. एक प्रस्ताव के अनुसार काम का अधिकार संविधान में होना चाहिए.

इसी तरह के कई सम्मेलन राजाह-मुंदरी, गुन्टूर, ओंगोले, हैदराबाद व खम्माम के जिलों में जनवरी 1979 में हुए. आंध्र प्रदेश का राज्य स्तर का महिला कर्मचारी सम्मेलन फरवरी में होगा.

श्रम कानून-2

गलत दलीलों के नाम पर नौकरी की बहाली को नहीं रोका जा सकता

—इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला

बहुत से प्रबंधक रोज़गार की तलाश में बुरे हाल लोगों को नौकरी देते समय कोई ऐसा समझौता तय करा लेते हैं जो कानूनी तौर पर गलत होता है. लेकिन नौकरी पाने के लिए लोग ऐसे समझौते के लिए राजी हो जाते हैं. इस तरह से बाद में मालिक व प्रबंधक आदि काफी निर्दयता व जोर-शोर के साथ अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं. लेकिन कभी-कभी ऐसे मालिक खुद कानूनी चक्कर में फंस जाते हैं.

एक फर्म ने एक व्यक्ति को केमिस्ट-इंचार्ज के पद पर नौकरी दी. लेकिन उसे छः महीने के लिए प्रोबेशन पर रखा गया. इसी दौरान मालिकों ने उस कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया. कर्मचारी ने श्रम अदालत का दरवाजा खटखटाया. श्रम अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस कर्मचारी को नौकरी से निकालना गलत था. लेकिन कर्मचारी की नौकरी बहाल कराने की बजाए अदालत ने उसको तीन हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया.

प्रबंधकों और कर्मचारी दोनों ने ही श्रम अदालत के इस आदेश को उच्च-न्यायालय में चुनौती दी. कर्मचारी का मत था कि मुआवजे की बजाए उसकी नौकरी बहाल की जाए और प्रबंधकों को श्रम अदालत द्वारा कर्मचारी को नौकरी से निकाले जाने को गलत करार देने पर आपत्ति थी. अत: उच्च न्यायालय के सामने दो याचिकाएं दायर हो गई.

प्रबंधकों ने तर्क दिया कि कर्मचारी को प्रोबेशन के दौरान नौकरी से निकाला गया था. दूसरे, कम्पनी के स्थायी आदेशों के मुताबिक दो महीने का प्रोबेशन केवल आपरेटिव कर्मचारियों के लिए होता है, जबकि निलम्बित कर्मचारी आपरेटिव श्रेणी में नहीं आता है.

प्रबंधकों के दूसरे तर्क के बारे में उच्च न्यायालय ने कहा कि क्योंकि यह तर्क श्रम अदालत में नहीं दिया गया था और इसे पहली बार उच्च अदालत में उठाया जा रहा है. इसलिए इसकी इजाजत नहीं दी गई.

लेकिन उच्च न्यायालय ने प्रबधकों द्वारा दिए गए इस तर्क को कि कर्मचारी को प्रोबेशन काल में नौकरी से निकाला गया है, को गलत साबित किया. इंडस्ट्रियल एंप्लायमेंट (स्टेंडिंग आर्डर) कानून, '46 की धारा 3 से 12, 12 ए, 13, 13 ए, के प्रावधानों का जिक्र करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि जिस किसी औद्योगिक संस्था ने यदि अपने स्थायी आदेश निर्धारित नहीं किए हैं तो इंडस्ट्रियल एंप्लायमेंट (स्टेंडिंग आर्डर) कानून,' 46 में दिए गए स्थायी आदेश उस संस्था में लागू होंगे. मौजूदा मामले में प्रबंधकों ने स्वयं कहा है कि दो महीनों का प्रोबेशन केवल आपरेटिव-कर्मचारियों के लिए हैं, दूसरों के लिए नहीं. इसलिए उस कर्मचारी पर धारा 12 ए के तहत स्थायी आदेश लागू होंगे.

इंडस्ट्रियल एंप्लायमेंट (स्टेंडिंग आर्डर) कानून '46 के मुताबिक प्रोबेशन काल तीन महीनों का होता है जिसके बाद इस कानून की धारा 2 (बी) और (सी) के तहत कर्मचारी स्थायी हो जाता है. इसलिए मौजूदा मामले में कर्मचारी स्थायी था.

प्रबंधकों ने दलील दी कि उस कर्मचारी ने छः महीने का प्रोबेशन स्वीकार किया था. इसे रद्द करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि मालिकों को कर्मचारियों के साथ स्थायी आदेशों के प्रावधनों के खिलाफ कोई भी समझौता करने की छूट नहीं है. इसलिए श्रम अदालत ने कर्मचारी के स्थायी होने का फैसला सुनाकर कोई गलती नहीं की है.

श्रम अदालत द्वारा किए गए नौकरी की बहाली की बजाए मुआवजा देने के फैसले को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया. श्रम अदालत ने ऐसा करते वक्त तीन कारण दिए थे. मालिकों ने कर्मचारी के आचरण पर आक्षेप नहीं किया था. उस कर्मचारी ने श्रम विभाग को मालिकों के खिलाफ कुछ शिकायतें भेजी थी जिससे मालिकों के कर्मचारी से नाराज़ होने में शक जाहिर होता था. और कर्मचारी ने श्रम अदालत में गलत दावे किए थे. इस अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कर्मचारी को किसी बुरी नीयत से नहीं निकाला गया लेकिन उसका नौकरी से निकाला जाना गैर कानूनी था. ऐसे ऊंचे पद पर कर्मचारी को वापस लेना ठीक नहीं होगा इसकी बजाए उसे एक साल का वेतन दे दिया जाए.

इन तीनों दलीलों को रद्द करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि जब भी किसी कर्मचारी का नौकरी से निकाल देना श्रम अदालत या औद्योगिक ट्राइ-बूनल द्वारा गैर कानूनी पाया जाता है तो सामान्य नियमों के अनुसार नौकरी की बहाली के आदेश दिए जाते हैं. अपने फैसले में उच्च न्यालालय ने कहा कि लगता है श्रम अदालत पर कर्मचारी द्वारा दी गई गलत दलीलों का गहरा असर पड़ा है. और कर्मचारी गलत दलील देने का कसूरवार हो सकता है लेकिन इसके कारण कर्मचारी को नौकरी पर बापस लेने से इंकार नहीं किया जा सकता.

व्यावसायिक कैंसर

[पृष्ठ नौ से आगे]

सुविधाओं की कमी इन कारणों में शामिल है. पश्चिम जर्मनी और युनाइटेड किंगडम से प्राप्त जानकारी के मुताबिक 2-नेपथाइलेमाइन नामक पदार्थ से सम्बंधित काफी समय तक काम करने वाले लगभग सभी मजदूरों को मूत्राशय-कैंसर हो जाता है.

अमरीका के एक सर्वेक्षण के अनुसार भविष्य में अमरीका में कैंसर से हर पांच रोगियों में से कम से कम एक रोगी ऐसा होगा जो नौकरी के दौरान कारसिनोजन के असर से कैंसर का शिकार होगा.

आगामी बीस सालों में केवल एस्बेस्टस के कारण पैदा हुए कैंसर से बीस लाख अमरीकी मजदूर समय से पहले मौत के शिकार होंगे. यह संख्या इस काल में कैंसर से होने वाली कुल मौतों का करीबन 17% है.

अमेरिकन नेशनल कैंसर संस्था और नेशनल एनवायरनमेंटल हेल्थ साइंस की राष्ट्रीय संस्था के इस सर्वेक्षण के अनुसार कार्य स्थल पर पाए जाने वाले आठ कारसिनोजनिक पदार्थों से भी उतने ही मजदूरों को कैंसर हो जाता है जितने अकेले एस्बेस्टस के कारण. चमड़े और जूते का काम करने वालों, कोयला-भट्टी मजदूरों केडमियम का उत्पादन करने वाले और धातु खदान मजदूरों में कैंसर के सबसे ज्यादा रोगी मिलते है.

सिंगापुर की एक सरकारी रपट के मुताबिक 350 संस्थाओं के लगभग २५०० मजदूर कैंसर पैदा करने वाले कीटाणुओं के बीच काम करते हैं. और 800 मजदूर आइनाईजिंग किरणों से पैदा होने वाली दुर्घटनाओं के खतरों के होते हुए भी काम करते हैं.

फैलाव

यह खतरा कारखानों के दरवाजों तक ही सीमित नही है, बल्कि आस पास के इलाकों में भी फैलता जा रहा है. आई.एल.ओ के व्यावसायिक स्वास्थ्य व सुरक्षा के विश्वकोष के मुताबिक व्यावसायिक कारसिनोजन वातावरण आदि से पैदा होने वाले कैंसर के स्रोत हैं. इन कारसिनोजनों के हवा, पानी और मिट्टी में मिल जाने से फेफड़ों और मूत्राशय में होने वाले कैंसर की संख्या में काफी बढ़ौतरी हुई है.

एस्बेस्टस-खदानों में या उनके आस पास काम करने वाले मजदूरों के कपड़ों व बालों द्वारा हानिकारक तत्व घरों में भी आ जाते हैं और इस प्रकार उनके परिवार भी इस रोग की लपेट में आ जाते हैं.

सुझाव

अंतर्राष्ट्रीय श्रम सगंठन के 1974 में हुए सम्मेलन में इस मुद्दे पर विचार किया गया और राष्ट्रीय प्रशासनों, प्रबधंको व मजदूरों को व्यावसायिक कैंसर से बचाव के लिए कई सुझाव दिए. मौजूदा अध्ययन ने भी कई नए सुझाव दिए हैं जिनमें से दो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं.

पहले सुझाव कार्य क्षेत्र व वातावरण कैंसर को जन्म देने वाले तत्वों की पहचान के लिए विज्ञान और तकनीकी सक्रिय बनाने का है. आज का उद्योग रोजाना सात लाख रसायनों का इस्तेमाल करता है और हर साल दस हजार नए रसायन इसमें और आ मिलते हैं. इसलिए कानूनी तौर पर इन रसायनों की कारसिनोजनिक शक्ति के लिए टेस्ट किया जाना चाहिए.

दूसरे, अध्ययन के मुताबिक, किसी भी उद्योग में पाए जाने वाले कारसिनोजन का पूरा ब्यौरा होना चाहिए जिसमें बचाव के लिए उठाए जाने वाले कदम व उसके साथ काम करने के समय आदि का विस्तार से उल्लेख होना चाहिए.

औद्योगिक प्रक्रिया की हर बात जैसे खतरे के स्रोत, उत्पादन के विभिन्न चरण, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, इस्तेमाल, प्रयोगशाला के कार्य, मुरम्मत और रोकथाम, उसमें शामिल होनी चाहिए.

राज्य कर्मचारी हड़ताल करेंगे

चालीस लाख से भी अधिक राज्य सरकारों के कर्मचारी 26 अप्रैल को अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे. यह फैसला भुवनेश्वर में हुई अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी फेडरेशन की कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया. यह बैठक 22 जनवरी को समाप्त हुई.

राज्य सरकार कर्मचारी महंगाई भत्ते, जरुरत के आधार पर वेतन, मजदूर विरोधी सभी कानूनों की वापसी और अन्य कई मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं.

इस हड़ताल की तैयारी के रुप में समूचे देश में 23 मार्च को विधान सभाओं के सामने प्रदर्शन किए जाएंगे,

फेडरेशन के अनुसार जनता पार्टी के आने से जो आशाएं बधी थी उन पर पानी फिर चुका है. उन्होंने कहा न तो मजदूर वर्ग की लम्बे अरसे से चली आ रही आर्थिक मांगों को स्वीकार किया जा रहा है. और न ही उन्हें ट्रेड यूनियन अधिकारों की गारंटी दी जा रही है. जम्मू और काश्मीर, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और उड़िसा में राज्य सरकार कर्मचारियों की मांगों पर कोई ध्यान नही दिया गया हैं. राज्य सरकार कर्मचारियों के नेताओं का कहना है. कि वे औद्योगिक संबंध विधेयक को पास कराना चाहते हैं तो उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि देश का मजदूर वर्ग और कर्मचारी इसको वापस कराना भी जानता है.

नागदा में जनतंत्र की हत्या

नागदा मध्यप्रदेश का औद्योगिक केन्द्र है. यहां देश के प्रमुख इजारेदार उद्योगपति बिड़ला के सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाले प्रमुख उद्योग मौजूद हैं.

इन उद्योगों की स्थापना के पिछले करीब 25 सालों से बिड़ला प्रबन्धकों ने इन उद्योगों में काम करने वाले लगभग दस हज़ार मज़दूरों, का सभी श्रम कानूनों को ताक पर रखकर न केवल जबरदस्त शोषण किया है बल्कि उनके सभी ट्रेड यूनियन और संविधान द्वारा दिए गए बुनियादी अधिकारों का भी हमेशा क्रूर दमन किया है. मज़दूरों के साथ साथ बिड़ला प्रबन्धकों ने नागदा की जनता के नागरिक और प्रजातांत्रिक अधिकारों पर भी हमेशा कुठाराघात किया है.

अपने स्वार्थों के लिए 15 सालों तक नागदा नगरपालिका के गठन को भी रुकवाया. और जब नगरपालिका बन गई तो उसके चुनावों को दस साल तक रुकवा दिया. जब जनता सरकार ने 25 अक्तूबर 1978 को नागदा की जनता को नगरपालिका के निर्वाचन का अधिकार दिया तो बिड़ला प्रबन्धकों ने मध्य-प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद चुने गए पार्षदों को नगरपालिका परिषद बनाने से रुकवा दिया. मध्यप्रदेश सरकार ने अभी तक नव-निर्वाचित पार्षदों के हाथ में नगर पालिका नहीं सोंपी है. नागदा में लोकतंत्र और न्याय का कितना जबरदस्त अपमान किया जा रहा है

बिड़ला उद्योग समूह के अनेक ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ताओं और कई निर्वाचित पार्षदों पर नागदा की पुलिस ने हत्या के प्रयासों से लेकर डकैती तक के जुर्मों के करीबन साठ मुकदमे चलवा रखें हैं. सौ से भी अधिक ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं जिनमें पार्षद भी शामिल हैं को भारतीय दण्ड विधान की धारा 107-116(3) के तहत समाज-विरोधी तत्व घोषित कर उनसे शांति व्यवस्था के नाम पर हजारों रुपये की नेकचलनी की जमानतें और न देने पर एक साल तक जेल भेजने के हुक्म दे दिए गए हैं.

इस प्रकार बिड़ला प्रबन्धकों ने जिला प्रशासन और पुलिस से सांठ गांठ कर मज़दूरों तथा नागदा की जनता की सभी नागरिक स्वाधीनताओं, जनतांत्रिक व ट्रेड यूनियन अधिकारों की हत्या करने की साजिश की है.

निर्वाचित पार्षदों को नगरपालिका सौंपने, पार्षदों व ट्रेड यूनियन कार्य-कर्त्ताओं पर चलाए जा रहे झूठे मुकदमे, आरोप और गिरफ्तारी वारंट वापस लिए जाने आदि की मांगों को लेकर नागदा की जनता व मज़दूर वर्ग संघर्ष कर रहे हैं. दो जनवरी से भूख हड़ताल चल रही है. एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया है.

बिड़ला प्रबन्धक इसके कारण बौख-लाहट में हैं और प्रशासन से मिलकर 1970 में हुए गोलीकांड जैसे कांड जिसमें दो मजदूर मारे गए थे और पुलिस ने मजदूर मुहल्लों में घुस कर भयंकर दमन किया था, को दोहराने की नापाक साजिश कर रहें हैं. लेकिन मजदूर शक्ति को दुनिया का किसी भी प्रकार का दमन तोड़ नहीं सका है. फिर नागदा तो क्या चीज है.

अजुध्या शूगर मिल मजदूरों की क्रमिक भूख हड़ताल

अजुध्या शूगर मिल मज़दूर सभा, (राजा का सहसपुर, मुरादाबाद) की 25 जनवरी को आम सभा हुई. इसके फैसले के मुताबिक 27 जनवरी को मज़दूरों ने प्रदर्शन किया और मिल मालिकों को एक मांग पत्र दिया. मज़दूरों ने चेतावनी दी कि यदि 10 फरवरी तक मालिकों ने मांगें पूरी नहीं की तो 11 फरवरी से यूनियन के मंत्री कामरेड अशोक कुमार शर्मा मांगें पूरी होने तक आमरण भूख हड़ताल करेंगे इसके अलावा यूनियन के सदस्य भी 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे.

इस मांग पत्र में पिछले महीनों के बकाया वेतन, 1977-78 के बोनस व ग्रेच्युटी देने, भविष्य निधि का बकाया रुपया भविष्य निधि कार्यालय में जमा कराने, सभी रिक्त स्थानों को पूर्ति करने और श्रमिकों का बीमा कराए जाने और गैर कानूनी रूप से निकाले गए 20 श्रमिकों को पूरे वेतन के साथ वापस नौकरी पर लेने की मांगें शामिल है. इसके अलावा यह भी मांग की गई है कि श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाएं बंद न की जाए. चिकित्सा व अन्य सुविधाओं की मांगों के साथ साथ 6 मई 1978 को हुए समझौते का पालन करने के लिए कहा गया है.

ढ़ाई लाख इस्पात मजदूरों का शानदार मांग सप्ताह

जमशेदपुर में आयोजित अखिल भारतीय इस्पात मजदूर सम्मेलन के फैसले के मुताबिक देश भर में 9 से 15 जनवरी तक इस्पात मजदूरों ने मांग सप्ताह मनाया. इस पूरे मांग सप्ताह में अपनी मांगों के समर्थन में मजदूरों ने पोस्टर चिपकाए, बिल्ले लगाए, गेट मीटिंगें की और जुलूस निकाले. हरेक इस्पात कारखानों के मैने-जिंग डायरेक्टर के आफिस के सामने 15 जनवरी को गगन भेदी नारों के साथ मजदूरों ने व्यापक प्रदर्शन किए. दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, राऊरकेला, बर्नपुर, और कलकत्ता से प्राप्त समाचारों के अनुसार तमाम इस्पात मजदूरों ने एकजुट होकर इस मांग सप्ताह में भाग लेकर इसे प्रभावशाली मजदूर आंदोलन का रुप देने में सफलता प्राप्त की.

एच.एस.सी.एल. का सँघर्ष

[पृष्ठ सात मे आगे]

समय पर मज़दूरों ने उस संघर्ष को जारी रखने के लिए शपथ ली जिसके लिए कामरेड बुद्धराम शहीद हुए थे.

प्रबंधकों ने मांगों पर फैसला करने का लिखित वादा किया और इस्पातमंत्री ने 30 सितबर की घटना के ऊपर न्यायायिक जांच की मांग को स्वीकार किया. इसके बाद हड़ताल वापस ली गई.

एच एस सी एल यूनियन सीटू के नेतृत्व में 1977 में बनी थी. तभी से इसे तोड़ने की प्रबंधकों द्वारा साजिशें की गई. यूनियन के सहायक सचिव कामरेड एम बी चैटर्जी का बंगलोर और उसके कुछ दिन बाद महासचिव कामरेड एस एस भट्टाचार्य का सालेम के लिए तबादला कर दिया गया. लेकिन मजदूरों के संघर्ष ने इस तबादले को रूकवाया और मामला मध्यस्थता के लिए सौंप दिया गया. माननीय न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि इनका तबादला ट्रेड यूनियन गतिविधियों के कारण किया गया है इसलिए यह गैरकानूनी है.

करीब एक साल तक इंडस्ट्रियल कोर्ट, इंदौर, में मामला चलने के बाद मज़दूरों की विजय हुई. प्रबंधकों ने अपनी हार का बदला लेने के लिए कामरेड भट्टाचार्य व कामरेड सुलतान अहमद को झूठे मामलों में फंसा कर नौकरी से मुअत्तल कर दिया. इसके अलावा अन्य कार्यकर्त्ताओं को निकालने की धमकी दी जा रही है. कामरेड भट्टाचार्य एच एस सी एल की यूनियनों की अखिल भारतीय कोआर्डिनेशन कमेटी के संयोजक हैं.

लेकिन एच एस सी एल के मजदूर एकजुट हैं उनकी जीत होकर रहेगी. फरवरी में सात से चौदह तारीख तक मनाया जाने वाला मांग सप्ताह इसी बात का प्रतीक है. ये मज़दूर ठेका प्रथा खत्म करने, जरूरत पर आधारित वेतन, बोनस, महंगाई भत्ता, चिकित्सा व आवास की सुविधाओं, निकाले गए सभी साथियों को वापस नौकरी पर लेने और अनेक कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ चलाए जा रहे झूठे मामलों को वापस लेने आदि की मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे है.

राजस्थान कपड़ा मिल मजदूरों का मांग पत्र

सीटू की राजस्थान राज्य कमेटी ने राजस्थान टैक्सटाइल मिल्स एसोसियेशन को एक मांगपत्र तथा सीधी कार्यवाही के नोटिस द्वारा चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों पर 31 जनवरी तक फैसला नहीं किया गया तो मजदूरों के पास आम हड़ताल के अलांवा और कोई रास्ता नहीं होगा. इस मांग पत्र में सूती उद्योग के सभी श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बम्बई सूती उद्योग के श्रमिकों के वेतन के बराबर करने, कीमतों में बढ़ोत्तरी के हिसाब से अतिरिक्त मंहगाई भत्ता देने, सालाना तरक्की की दरों को बढ़ाने, श्रमिको के लिए वर्दियां, मकान सुविधा या मकान किराया भत्ता देने, प्रोविडेंट फंड की दर १०% करने आदि मांगो के अलावा ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति,बदली मजदूरो के लिए महीने में 20 दिन काम की गारंटी, वेतन सहित अधिक छुट्टियां, महिला विभागों में महिला अधिकारियों की नियुक्ति, क्रेश में पर्याप्त स्टाफ और बच्चों के लिए दूध, फल आदि की उचित व्यवस्था करने एप्रेन्टिसों का शोषण समाप्त करने और आपातकाल में निकाले गए मजदूरों की पूरे वेतन के साथ नौकरी पर बहाली की मांगे भी शामिल हैं इन्हीं मांगों के आधार पर पाली भीलवाड़ा और दूसरी सूती मिलों की सीटू यूनियनों ने अपने अपने मिल मालिकों को मांग पत्र और सीधी कार्यवाही के नोटिस दे दिये हैं .

सीटू मजदूर

सी आई टी यू का मासिक मुखपत्र
एक प्रति की दर पचास पैसे
वार्षिक चंदा पांच रूपये
एजेंसी के लिए कम से कम पांच प्रतियां
मिलने का पता
6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001

मंहगाई के आंकड़े
(आधार 1960-100)

राज्य/केंद्र	1978 सित	अक्तू	नव
बिहार			
जमशेदपुर	332	334	332
झारिया	326	331	330
कोडर्मा	356	353	351
मोंधाइर	365	365	364
नोआमुंडी	321	327	309
गुजरात			
अहमदाबाद	326	328	325
भावनगर	344	344	347
हरयाणा			
यमुना नगर	362	369	364
जम्मू व काश्मीर			
श्रीनगर	336	338	338
मध्य प्रदेश			
बालाघाट	361	366	364
भोपाल	346	345	340
ग्वालियर	355	358	352
इन्दौर	360	362	358
महाराष्ट्र			
बम्बई	327	326	327
नागपुर	334	335	331
शोलापुर	346	353	355
पंजाब			
अमृतसर	350	354	353
राजस्थान			
अजमेर	346	344	345
जयपुर	372	367	363
उत्तर प्रदेश			
कानपुर	346	352	346
सहारनपुर	349	356	353
वाराणसी	401	406	405
पश्चिम बंगाल			
आसन सोल	348	359	354
कलकत्ता	343	353	350
दार्जीलिंग	277	287	285
हावड़ा	323	341	334
जलपाइगुरी	287	290	289
रानी गंज	333	345	336
दिल्ली	376	374	368
भारत	336	340	340

(लेबर ब्यूरो, शिमला)

मजदूर वर्ग की एकता

[पृष्ठ तीन से आगे]

अपनाना पड़ा यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है. असलियत यह है कि जनता पार्टी में प्रभुत्व रखने वाली वही ताकतें हैं जो कांग्रेस में थीं खासतौर पर बड़े सरमायादारों तथा ज़मींदारों का तबका जनता पार्टी पर हावी हैं. लोकतंत्र के लिए उनका दर्द उनमें महज़ इसीलिए पैदा हुआ था कि वे खुद इमरजेंसी के शिकार हुए थे और इमरजेंसी का विरोध करने के लिए अवाम को इकट्ठा करना था. इसलिए उन्होंने लोकतंत्र को फिर से कायम करने का नारा लगाना पड़ा. लेकिन सरकार जिन नीतियों को अमल में ला रही है, उनके प्रति जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा विरोध प्रकट करने पर उतारू हो गया है. इसलिए अपनी नीतियों के अमल में सलाते रहने के लिए जनवादी अधिकारों का दमन करने की खातिर ये लोग घटिया से घटिया तरीके अपना रहे हैं. इस हमले का सबसे ज़्यादा शिकार देश का मज़दूर वर्ग हो रहा है. लेकिन इतना तय है कि जैसे जैसे जनवादी आन्दोलन तेज़ होगा, समाज के दूसरे तबकों पर भी दमन शुरू हो जायेगा.

इसलिए मज़दूर वर्ग के लिए यह ज़रूरी हो गया है कि वह जनवादी अधिकारों तथा अपने दूसरे हितों के लिए सरकार की निहित स्वार्थों वाली नीतियों की पुरज़ोर मुख़ालफ़त करें. इसके लिए यह ज़रूरी है कि मज़दूर वर्ग खेत मज़दूरों, ग़रीब किसानों तथा दूसरे शोषित तबकों के हक़ हुकूक की लड़ाई का अगुवा बन कर आगे बढ़ें. इस मसले पर संकीर्णतावादी रवैया नहीं रखा जाना चाहिए तथा उन सभी ताकतों के साथ एक-जुटता ज़रूरी है जो किसी विशेष मसले को लेकर लड़ना चाहती हैं.

ऐसे संघर्ष उभरने तथा उनके लगातार तेज होने की स्थिति में ही वर्गीय राजनीतिक ताकतों का सच्चा ध्रुवीकरण शुरू होगा. यही नहीं आम जनता के हितों की रक्षा के लिए एक आम सहमति वाला कार्यक्रम भी उभर कर सामने आयेगा जो बड़े औद्योगिक घरानों तथा उनके विदेशी मददग़ारों के खिलाफ़ भी होगा. इन निहित स्वार्थों के खिलाफ़ उठ खड़ी होने वाली ताकतें, क्योंकि वे इन्हीं संघर्षों में से ही उभरकर आयेंगी, वास्तव में प्रतिबल ताक़त ताक़त होगी, जिसका उभरना ऐसे ही आम सहमति वाले कार्यक्रम के अमल में लाने पर निर्भर करता है.

आज की इस घड़ी में जब कि देश की आर्थिक और राजनीतिक नीतियां और पूरा पूंजीपति,ज़मींदार व्यवस्था गढ़ते हुए आर्थिक संकट के शिकंजे में है, भारतीय मजदूर वर्ग के सामने यही सबसे अहम काम है.

आपके पत्र मिले

हमारे प्रिय पाठकों ने हमें अनेक पत्र लिखे हैं जिन्हें पढ़ कर संपादक-मंडल का उत्साह और बढ़ा है. इनके द्वारा हमें कई महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं. हम ख़ुद ही इस दिशा में काम कर रहे हैं. लेकिन कई दिक्कतों के कारण उनको कार्यान्वित नहीं कर पाए. कई पाठकों ने श्रम-कानून और भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के इतिहास पर लगातार लेख प्रकाशित करने का भी सुझाव दिया है. श्रम कानून पर तो हमने शुरू से ही लेख प्रकाशित किए हैं और आगामी अंकों में भी करते रहेंगे. ट्रेड यूनियन आंदोलन के इतिहास पर लेख जल्द ही प्रकाशित होंगे. अन्य सुझावों के आधार पर हम पत्रिका में दूसरे लेख भी शामिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.

पाठकों को पत्रिका की भाषा अच्छी लगी इसके और हमें पत्र लिखने के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं. हम इसे और भी रचनात्मक बनाने की कोशिश करेंगे. हमें आशा है कि आप समय-समय अपने सुझाव व समाचार भेजकर पत्रिका की मदद करेंगे. —संपादक मंडल

दिल्ली के इंजीनियरिंग मजदूरों की संग्रामी तैयारी

सीटू से सम्बंधित दिल्ली की जनरल मजदूर लाल झंडा यूनियन की केंद्रीय कमेटी ने इंजीनियरिंग उद्योग के विभिन्न कारखानों के मजदूरों की मांगों के आधार पर एक संग्रामी कार्यक्रम तय किया है. यूनियन ने 350 रुपये मासिक वेतन, बोनस, शत प्रतिशत महंगाई भत्ते व ट्रेड यूनियन अधिकारों के विस्तार आदि की मांग को लेकर इस कार्यक्रम को तीन हिस्सों में बांटा है. पहले एक मांग सप्ताह मनाया जाएगा, फिर यूनियन की सभी ब्रांचें अपने अपने क्षेत्र में सम्मेलन करेंगी और फिर दिल्ली की तमाम यूनियनों का एक सम्मेलन आयोजित किया जायगा.

यूनियन की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मजदूर-मालिक संघर्ष में दिल्ली की वर्तमान सरकार मालिकों का साथ दे रही है जिससे मजदूरों के दमन के लिए सरमाऐदारों का हौंसला और बढ़ा है. इसके मुताबिक यूनियनें तोड़ने के लिये मालिक मजदूरों पर ज़ुल्म ढा रहे हैं और गैर-कानूनी तालाबंदी और ले-आफ कर रहे हैं—जिससे सैंकड़ों मजदूरों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है. नांगलोई की हिंदुस्तान जनरल इंडस्ट्रीज में 8 जनवरी से तालाबंदी और नामधारी कोच बिल्डर में ले-आफ इस के उदाहरण हैं. यूनियनों को पुलिस और गुंडों की मदद और गैर-कानूनी कार्यवाही से तोड़ने का सिलसिला मायापुरी, ओखला, शाहदरा, नरैना व वजीरपुर में भी जोरों पर है.

[पृष्ठ प्रथम का शेष]

बनाए. सम्मेलन की घोषणा के बाद मजदूरों में जो उत्साह आया है वह समय के साथ और बढ़ेगा. इसमें कोई शक नहीं कि यह सम्मेलन डेलीगेटों को पूंजीवादी हमलों के खिलाफ और भारतीय भूमि पर सही समाजवादी समाज के निर्माण के लिए उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए नई चेतना देगा.

चटकल मजदूरों की हड़ताल का समर्थन

सीटू, एटक, यू टी यू सी, एच एम पी, एच एम एस, बी एम एस और इंटक ने एक फरवरी को एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है. इसमें अपनी मांगों को मनवाने के लिए 5 जनवरी से लगातार हड़ताल कर रहे पश्चिम बंगाल के 2.5 लाख चटकल मजदूरों की मांगों के प्रति इंडियन ज्यूट मिल्स एसोसिएशन के रवैये पर घोर चिंता व्यक्त की गई है.

इन सभी केंद्रीय यूनियनों ने अपना पूरा समर्थन देते हुए कहा कि चटकल मजदूरों की वेतन वृद्धि और काम के भार में कटौती की मांगें उचित हैं.

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के चटकल मजदूरों के हड़ताल में शामिल होने से मामला और भी चिंतनीय हो गई है.

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार की चटकल मजदूरों की मांगों के लिए उचित समझौता कराने की हर कोशिशों को नजरअंदाज करते हुए चटकल सामंत और इंडियन ज्यूट मिल्स एसोसिएशन जानबूझ कर हड़ताल को लम्बा खींचने के लिए साजिश कर रही है. इस घृणित रवैये के लिए केंद्रीय यूनियनों ने उनकी कड़ी आलोचना की है.

इसमें मांग की गई है कि चटकल सामंत और इंडियन ज्यूट मिल्स एसोसिएशन चटकल मजदूरों की मांगों को तुरंत तय करे और चटकल मजदूरों को एकजुट होकर अपनी हड़ताल को तब तक जारी रखने के लिए कहा गया है जब तक उनकी मांगें स्वीकार नहीं की जाती. इस समस्या को सुलझाने में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए भारत सरकार से भी अनुरोध किया गया है.

अंडमान निकोबार के मजदूर भूख हड़ताल पर

अंडमान निकोबार गवर्नमेंट ऐप्लाईज एंड वर्कर्स फेडरेशन ने 12 जुलाई 1977 को भारत सरकार तथा अंडमान द्वीप के प्रशासन को एक 22-सूत्री मांग पत्र दिया था. इस मामले में 18 सितम्बर को श्रम सचिव व श्रम आयुक्त के साथ भी बातचीत हुई थी. लेकिन भारत सरकार व स्थानीय प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया.

फेडरेशन की फेडरेल कौंसिल ने 1979 को आठ महत्वपूर्ण मांगों को लेकर संग्रामी तैयारी का फैसला किया और सरकार व प्रशासन को 15 दिन का नोटिस दे दिया गया.

इस मामले में कुछ भी न होने से फेडरेशन की विभिन्न यूनिटों ने 22 जनवरी से सामूहिक और फेडरेशन के अध्यक्ष कामरेड पी. के. एस. प्रसाद ने 24 जनवरी से अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल कर दी. अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मजदूर वर्ग एक जुट होकर भूख हड़ताल व प्रदर्शन आदि के कार्यक्रमों को सफल बना रहे हैं.

हड़ताल स्थगित

राजस्थान के संयुक्त श्रम आयुक्त के साथ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की 21 जनवरी को हुई समझौता वार्ता के बाद एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि एक जनवरी 1979 से रू० 28.50 पैसे की कटौती समझौता वार्ता तक नहीं काटने व आपसी वार्ता छः फरवरी से शुरू कर देने पर राजस्थान के सूती उद्योग में एक फरवरी से होने वाली हड़ताल 21 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

इस समझौता वार्ता में सीटू, एटक, बी एम एस, इंटक के प्रतिनिधि शामिल हुए थे. सीटू का प्रतिनिधित्व राजस्थान सीटू के महामंत्री का. शिराली ने किया.

'सीटू मजदूर' का उद्घाटन

सीटू के केंद्रीय कार्यालय में 14 जनवरी को 'सीटू मजदूर' का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया. सबसे पहले कामरेड बी टी रणदिवे ने सीटू का झंडा फहराया. कामरेड एम के पंधे ने स्वागत भाषण दिया और पत्रिका की अहमियत बताई. संपादक मंडल की ओर से कामरेड विजेंद्र शर्मा ने 'सीटू मजदूर' की पहली प्रति कामरेड रणदिवे को भेंट की.

का. बी टी रणदिवे ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि इस पत्रिका का प्रकाशन मजदूर वर्ग में क्रांतिकारी नीतियों के प्रचार के लिए सीटू का एक और कदम है. कहा उन्होंने कि सीटू के बढ़ाव को रोकने के लिए सरकार ने गुप्त आदेश जारी किये हैं और इस तरह के आदेश दूसरी किसी भी यूनियन के खिलाफ नहीं किये गए हैं. इसलिए सीटू से संबंधित यूनियनों पर जबरदस्त दमन किया जा रहा है. लेकिन इसके बावजूद अपनी सही क्रांतिकारी नीतियों के कारण सीटू दिन पर दिन और शक्तिशाली होती जा रही है.

इस समारोह में दिल्ली और उसके आस पास के इलाकों के सैकड़ों मजदूरों ने भाग लिया. ये मजदूर दूर दूर के इलाकों से पैदल और साईकिल द्वारा 'इंकलाब जिंदाबाद' और 'सी आई टी यू को लाल सलाम' आदि नारे लगाते हुए आए. इस अवसर पर जन नाट्य मंच ने दो नुक्कड़ नाटक-'गांव से शहर तक' और 'हत्यारे' किए.

संपादक मंडल

बी टी रणदिवे (अध्यक्ष)

पी राममूर्ति — मनोरंजन राय

निरेन घोष — सुधिन कुमार

एम के पंधे (संपादक)

एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्ज़ के लिए 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, 1, लारेंस रोड, रामपुरा, नई दिल्ली-110035 से मुद्रित (फोन 384071)